[illegible] के लिए आ चुके हैं। अतः मांग
को लिया जाता है। मुकदमा [illegible]
बन्द किया जाता है। पत्रावली आगे बहस
दिनांक 17/1/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

~~17/1/17 वकील [illegible] उपस्थित। [illegible] आगे~~
~~बहस आगामी दिनांक~~

17/1/17 वकील वादी उपस्थित। वकील प्रतिवादी
को मालूम लगाई गई पर उपस्थित नहीं
आया। मुकदमा पर बहस एकतरफा सुनी गई।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली
के अवलोकन से यह आदेश विवाद है जो वादी के वाद
कारण के अन्तिम निर्णय में तय होगा है। ऐसी
स्थिति में मुकदमा सामयिक स्थगित
किया जाता। उपखण्ड अधिकारी को विवादित
भूमि धारा जी.ए.ए. 235 तथा 2 कीया 12
विवाद बोर्ड ग्राम कोठरा तहसील करौली के नक्शा
में निकाली की स्थिति यथावत बनाये रखने
को न्यायालय वादी प्रतिवादी निर्देशित करे
पारित किया जाता है। पत्रावली न्यायालय मुख्य
खेत नकल के रूप को आदेश प्रसारित हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली